कार्यालय कलेक्टर, भू - अभिलेख जिला- इंदौर (म.प्र.)

प्रशासनिक संकुल, मोती तबेला, इंदौर

ई -मेल आय डी slrind@nic.in

इन्दौर, दिनांक- 28-10-2024

क्रमांक-2969 /निविदा /भू.अभि./ 2024

संक्षिप्त ई-निविदा सूचना

जिला इन्दौर में भूमियों के सीमांकन कार्य को सूचारू रूप से नियत समयावधि में पूर्ण कराने को दृष्टिगत रखते हुए, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (सीमांकन नियम 2018 के नियम 7 (1) में दिये गये प्रावधानानुसार ईलेक्ट्रानिक टोटल मशीन (ई.टी.एस.) आधारित सीमांकन कार्य के लिए कुशल मानव संसाधन प्रदान करने के लिए ऐजेंसी के चयन हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। ई-निविदा का अनुमानित मूल्य रूपये 90,00,000/- (अक्षरी राशि रूपये नब्बे लाख मात्र) है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण **https://mptenders.gov.in**पर उपलब्ध है। ई-निविदा पपत्र का मूल्य 1,000/- रूपये है। ई-निविदा पपत्र **https://mptenders.gov.in**से निर्धारित राशि रूपये 1,000/- ऑनलाईन जमा कर क्रय कर सकते हैं।ई-निविदा प्रतिभूति राशि रू. 1,00,000/- है जो कि कलेक्टर इन्दौर के नाम से होकर ऑनलाईन **https://mptenders.gov.in** पर जमा करना होगी।

ई-निविदा जमा करने एवं खोलने संबंधी विवरण :-

क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1.	ई-निविदा प्रकाशन की तिथि	29/10/2024	10 :00 am
2.	ई-निविदा क्रय करने की आरंभिक तिथि	04/11/2024	10 :00 am
3.	ई-निविदा क्रय करने की अंतिम तिथि	18/11/2024	02 :00 Hrs.
4.	ई-निविदा भरने की अंतिम तिथि (Online)	18/11/2024	06 :00 Hrs.
5.	बीड A (Technical) खोलने की दिनांक	20/11/2024	11 :00 Hrs.
6.	बीड C (Financial) खोलने की दिनांक	21/11/2024	11 :00 Hrs.

ई-निविदा पत्र का तकनीकी मूल्यांकन दिनांक 20/11/2024 को समय दोपहर 11:00 बजे ई दक्ष केन्द्र, सेटेलाईट भवन, कक्ष क्रमांक 203 प्रथम तल, इन्दौर में उपस्थित निविदाकारों या उनके प्रतिनिधि के समक्ष निर्धारित समिति के द्वारा किया जावेगा। ई-निविदा संबंधी जानकारी www.indore.nic.inपर भी उपलब्ध है। ई-निविदा के संबंध में दूरभाष क्रमांक 9425060379 एवं **e-mail ID:** slrind@nic.in पर भी संपर्क किया जा सकता है।

नोट:-ई-निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन समाचार पत्र के माध्यम से नहीं किया जावेगा। यह केवल **https://mptenders.gov.in**एवं कलेक्टर, इन्दौर की वेबसाईट **www.indore.nic.in**पर ही प्रकाशित किया जावेगा।

कलेक्टर
जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक- 28-10-2024

क्रमांक-2970 /निविदा /भू.अभि./2024

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त भू - अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है कि इन्दौर से प्रकाशित होने वाले दो स्थानीय समाचार पत्रों, एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में तत्काल प्रकाशन करवाने का कष्ट करें।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. संयुक्त संचालक जनसंपर्क की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र इन्दौर की ओर जिला सूचना केन्द्र की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।
6. प्रभारी ई दक्ष केन्द्र, सेटेलाईट भवन, कक्ष क्रमांक 203, प्रथम तल, इन्दौर की ओर आवश्यक व्यवस्था हेतु।

कलेक्टर
जिला इन्दौर

कार्यालय कलेक्टर, भू - अभिलेख जिला- इंदौर (म.प्र.)

प्रशासनिक संकुल, मोती तबेला, इंदौर

ई –मेल आय डी slrind@nic.in

ई-निविदा हेतु सामान्य शर्ते

विषय: DGPS/ETSM से सीमांकन हेतु निविदा

1. ई--निविदा प्रपत्र दिनांक04/11/2024 समय 10:00am से दिनांक 18/11/2024 समय 02 .00 pm तक **https://mptenders.gov.in** पर निर्धारित राशि 1000/- ऑनलाईन जमा कर क्रय कर सकते हैं।
2. ई-निविदा पूर्ण रूप से भरी हुई दिनांक 18-11-2024 समय 06:00 pm तक ऑन लाईन**https://mptenders.gov.in** पर जमा की जा सकेगी। निर्धारित समयावधि तक प्राप्त ई-निविदा का तकनीकी मूल्यांकन दिनांक 20/11/2024 को प्रातः 11:00 बजे ई-निविदा समिति द्वारा उपस्थित निविदाकारों के समक्ष ई दक्ष केन्द्र, सेटेलाईट भवन, कक्ष क्रमांक 203 मे किया जावेगा।
3. तकनीकी मूल्यांकन में सफल निविदाकारों के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जायेगे।
4. प्रत्येक ई-निविदा के साथ प्रतिभूति राशि रू. 1,00,000/- कलेक्टर जिला इन्दौर के नाम से देय होकर ऑनलाईन **https://mptenders.gov.in** में जमा कर रसीद ऑनलाईन अपलोड करना होगी।
5. ई-निविदा प्रपत्र में समस्त जानकारी भरना, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर तथा मोहर लगाना एवं प्रमाण पत्रों की स्वतः सत्यापित प्रतियों अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। इसके अभाव में ई-निविदा को अमान्य किया जायेगा।
6. अपूर्ण एवं सशर्त ई-निविदा स्वीकार नही की जायेगी। ई-निविदा के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा (प्रति संलग्न है) कि, "निविदाकार/फर्म/कम्पनी/प्रोपराइटर को पूर्व में किसी भी शासकीय/अर्ध शासकीय कार्यालय/विभाग द्वारा ब्लेकलिस्ट नहीं किया गया है।प्रमाण-पत्र असत्य या असत्य सूचना पाए जाने पर ई-निविदा निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।
7. यह ई-निविदा सम्पूर्ण जिला के लिए प्रभावी रहेगी।संतोषजनक सेवाऐं प्रदाय ना करने अथवा ई-निविदा शर्तो का उल्लंघन करने के अलावा निविदाकार के किसी कृत्य से कार्यालय को हुई क्षति की पूर्ति हेतु भी धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि को राजसात कर फर्म को ब्लेकलिस्ट घोषित किया जावेगा।
8. कार्य अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में मूल्य वृद्धि देय नहीं होगी।
9. कार्य निर्धारित मापदण्ड तथा उच्च गुणवत्ता का होना आवश्यक होगा। सफल निविदाकार का देयक परीक्षण/ऑडिट अनुमोदन उपरांत स्वीकृत करते हुए वरिष्ठ कार्यालय द्वारा प्रदत्त आवंटन अनुसार भुगतान किया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
10. ई-निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को निम्न शर्तो का पालन करना आवश्यक हैः-
    1. किसी केन्द्रीय अथवा राज्य के शासकीय कार्यालय से सम्बंधित भूमि सीमांकन हेतु DGPS/TSM से संबंधित कार्य का न्यूनतम एक वर्ष के कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र / किसी निजी संस्थान मे कार्य किए जाने का स्वहस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण-पत्र एवं जी.एस.टी. पंजीकरण की स्वहस्ताक्षरित प्रति अपलोड करना अनिवार्य है।
11. निविदाकार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. स्वीकृत दरें कार्यादेश जारी होने की तिथि से 2 वर्ष तक मान्य होंगी। कार्य की गुणवत्ता एवं आवश्यकताहोने पर विचारोपरांत कार्यादेश में 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है ।
13. निविदाकार द्वारा जिस दर पर ई-निविदा प्रस्तुत की जायेगी उसमें जीएसटी का पृथक से भुगतान किया जायेगा।
14. ई-निविदा फर्म द्वारा कार्योपरान्त प्रस्तुत देयकों में से नियमानुसार शासन द्वारा निर्धारित करों का कटोत्रा किया जाकर शासन के खजाने में जमा किया जावेगा। और कटोत्रे के चालान/निर्धारित फार्म

संस्थान को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रदाय कर दिया जायेगा। इसके लिये निविदाकार को ई-निविदा के साथ उनके पेनकोर्ड की छायाप्रति एवं जी.एस.टी. नम्बर आदि की जानकारी संलग्न करना होगी।

15. ई-निविदा की किसी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर ई-निविदा निरस्त की जा सकेगी एवं नवीन ई-निविदा का पूर्ण अधिकार कलेक्टर जिला इंदौर को होगा जिसमें निविदाकार को किसी आपत्ति का अधिकार नहीं होगा।

16. कलेक्टर जिला इंदौर को यह अधिकार होगा कि गुण-दोष के आधार पर बिना कोई कारण बताये ई-निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकता है। किसी भी तरह के विवाद हेतु अंतिम निर्णय जिला कलेक्टर इंदौर का होगा तथा न्याय क्षेत्र इन्दौर रहेगा।

17. सफल निविदाकार द्वारा जो कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे उन्हें निविदाकार द्वारा परिचय पत्र जारी किया जायेगा तथा सेवारत कर्मचारियों की फोटो आईडी कार्ड की प्रति भी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी।

18. निविदाकार को यह प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा कि, उसकी फर्म/ कम्पनी/पार्टनरशीप के प्रोपराईटर/संचालक/पार्टनर पर कार्य की निविदा से संबंधित कोई पुलिस केस प्रचलित नहीं है।

19. कार्य उपरांत 45 दिवस में देयक 02 मूल प्रति में संलग्न कार्यादेश /चालान मय सत्यापन के प्रस्तुत करना होगा। उक्त समय समयावधि उपरांत भुगतान प्रक्रिया किया जाना कार्यालय के लिए बंधनकारी नहीं होगा।

20. सीमांकन पटवारी के पास उपलब्ध नक्शा शीट (बंदोबस्त) के आधार पर किया जाना अनिवार्य होगा। ऑन लाइन नक्शा केवल संदर्भ के लिए है ।

21. सीमांकन की कार्यवाही उपरांत सीमांकन दिवस को ही फील्ड बुक तैयार कर राजस्व निरीक्षक/पटवारी को उपलब्ध करना होगी, यदि किसी कारणवश सीमांकन दिवस को फील्डबुक जमा नही की गई, तो अनिवार्य रूप से अगले दिवस फील्डबुक कार्यालय मे जमा करेंगे ।

22. फील्डबुक के साथ ही गूगल मेप पर राजस्व नक्शा एवं किये गये सीमांकन का डेटा सुपर एम्बोस कर कार्यालय में जमा करेंगे। प्रति माह किये गये सीमांकन मय सूची साफ्ट कॉपी (ऑटोकेट फाईल) में तहसील कार्यालय में जमा करेंगे।

23. सफल निविदाकार जिनकी न्यूनतम दरे स्वीकृत की जावेगी, उनके साथ यदि उसी दरो पर अन्य ऐजेन्सी कार्य करने की इच्छुक होगी, तो उन्हे भी संयोजित किया जा सकेगा।

24. वित्तीय प्रस्ताव में स्वीकृत दोनो केटेगरी में पृथक-पृथक न्यूनतम दरे स्वीकृत की जावेगी, जो L 1 होगा उसी की न्यूनतम दरे मानी जावेगी।

25. दरे स्वीकृत होने के उपरान्त सफल निविदाकार को 7 दिवस के भीतर नियमानुसार अनुबंध करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा अमान्य की जावेगी।

26. फर्म के पास कम से कम 02 डी.जी.पी.एस./टी.एस.एम. मशीन का होना अनिवार्य हैं। निविदा के साथ मशीन की कंपनी, मॉडल एवं मशीन नंबर की जानकारी देना अनिवार्य है। डी.जी.पी.एस. मशीन वाले निविदाकार को प्राथमिकता दी जावेगी।

27. डी.जी.पी.एस./टी.एस.एम. मशीन के साथ तकनीकी रूप से दक्ष व्यक्ति को रखना होगा, जो कि ऑटो केट/ लाईका साफ्टवेयर पर कार्य करने में तकनीकी रूप से दक्ष हो।

28. तहसीलदार द्वारा नियोजित करने के 07 दिवस में सीमांकन करना निविदाकार के लिये अनिवार्य रहेगा।

29. निविदा स्वीकृति उपरान्त निविदाकार की जिम्मेदारी होगी कि कार्य निर्बाधरूप से चले, किसी तरह से रूकावट या विलंब होने पर कोई भुगतान नही किया जावेगा, एवं प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी।

मेरे द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तो का अध्ययन कर लिया गया है।

किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वमेव निरस्त होगी।

निविदाकार के हस्ताक्षर

दिनांकः-.........................

कार्यालय कलेक्टर, भू - अभिलेख जिला- इंदौर (म.प्र.)

प्रशासनिक संकुल, मोती तबेला, इंदौर

ई –मेल आय डी slrind@nic.in

निविदाकार के व्यवसाय का ब्यौरा

(निविदाकार द्वारा भरा जावेगा)

1	निविदाकार का नाम पता मोबाईल/फोन नंबर	
2	निविदाकार के संगठन का नाम (संगठन/साझेदारों की संख्या एवं उनके नाम, पते एवं फोन/मोबाईल नंबर)	
3	व्यवसाय का पंजीयन संबंधी प्रमाण पत्र	

निविदाकार के हस्ताक्षर

....

कार्यालय कलेक्टर, भू - अभिलेख जिला- इंदौर (म.प्र.)

प्रशासनिक संकुल, मोती तबेला, इंदौर

ई –मेल आय डी slrind@nic.in

तकनीकी दस्तावेजों की चेक लिस्ट

क्रमांक	दस्तावेज का विवरण	हा/नहीं	पेज नंबर (अनिवार्य)
1	फर्म के स्थापना का पंजीयन		
2	पेन नंबर (फर्म/व्यक्तिगत)		
3	आधार नंबर/वोटर आईडी/ड्राईविंग लायसेंस (कोई एक)		
4	जी.एस.टी. नम्बर एवं जीएसटी का पंजीकरण		
5	1 असेस्मेन्ट वर्ष के आयकर रिटर्न -		
	वित्तीय वर्ष 2023-2024 (असेसमेंट वर्ष 2024-25)		
6	किसी केन्द्रीय अथवा राज्य के शासकीय कार्यालय से सम्बंधित भूमि सीमांकन हेतु DGPS/TSM से संबंधित कार्य का न्यूनतम एक वर्ष के कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र/किसी निजी संस्थान मे कार्य किए जाने का स्वहस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण-पत्र		
7	निविदाकार को निम्नानुसार अर्हतानुसार मेनपॉवर उपलब्ध करना होगा		
	सर्वेयर - अर्हता- बी ई (सिविल) / सिविल डिप्लोमा / सर्वेइंग डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स सर्वेइंग मे / समकक्ष योग्यता अनुभव - 01 वर्ष का सर्वे कार्य का अनुभव		
8	असिस्टेंट- 01 वर्ष का सर्वे कार्य का अनुभव नोट - उक्त कार्य हेतु सेवा निवृत्त पटवारी / राजस्व निरीक्षक / राजस्व विभाग कर्मचारी को प्राथमिकता दी जावे		
9	निविदा प्रतिभूति राशि की रसीद		
10	संलग्न प्रमाण-पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति		
11	ई-निविदा की सामान्य शर्ते		

नोट –

1- उक्त सभी दस्तावेज अपलोड किए जाना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में आपकी प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2- उक्त चेकलिस्ट/अनुक्रमणिका अनुसार दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। अपेक्षित दस्तावेजो के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज अपलोड नही किये जावे।

3- MSME Cirtificate प्राप्त निविदाकारों को केवल निविदा प्रतिभूति राशि में ही छुट प्रदान की जावेगी।

स्थान :-

दिनांक :-

निविदाकार के हस्ताक्षर

कार्यालय कलेक्टर, भू - अभिलेख जिला- इंदौर (म.प्र.)

प्रशासनिक संकुल, मोती तबेला, इंदौर

ई –मेल आय डी slrind@nic.in

वित्तीय प्रस्ताव

(निविदाकार द्वारा भरा जावेगा)

क्रमांक	कार्य का विवरण	इकाई	दर	जी एस टी	कुल योग (जीएसटी सहित)
1	सीमांकन की जाने वाली भूमि के सर्वे एवं नपती की दर	1.000 हेक्टेयर तक नाप वाले सर्वेक्षण संख्यांक, उप खंड अथवा भूखंड संख्यांक पर			
2		1.000 हेक्टेयर से अधिक नाप वाले सर्वेक्षण संख्यांक, उप खंड अथवा भूखंड संख्यांक पर प्रति हेक्टेयर दर			

निविदाकार के हस्ताक्षर

....